"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 240] रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 जून 2014— ज्येष्ठ 12, शक 1936

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक 2415/एफ-04/37/2010/14-2. — छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 3285/एफ-04/01/2010/14-2 रायपुर दिनांक 16 जुलाई, 2012 द्वारा घोषित मण्डी प्रांगण पत्थलगांव मण्डी के मण्डी क्षेत्र में निर्मित समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र सहित निम्नांकित स्थानों को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, उप-मण्डी (फल-सब्जी) प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :-

स्थान

ग्राम मदनपुर इंजको, तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुर नगर में स्थित खसरा क्र. 500/600/1का/1 /1 रकबा लगभग 4.046 हेक्टेयर का क्षेत्र, जिसकी सीमाएं :-

सीमाएं

(1)	उत्तर में	-	शासकीय भूमि
(2)	दक्षिण में	-	शासकीय भूमि
(3)	पूर्व में	-	शासकीय भूमि

(4)	पश्चिम में	-	(1) विदुरसाय की निजी भूमि
			(2) रीना पति विनोद की निजी भूमि
			(3) पायल पति दीपक अग्रवाल की निजी भूमि

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक/एफ-04/01/2010/2004/14-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2415/एफ-04/37/2010/14-2, दिनांक 02-06-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd June 2014

NOTIFICATION

No. 2415/F-04/37/2010/14-2. — In the exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (2) of Section 5 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, declares that with effect from the date of publication in this notification in the Official Gazette, the following places including all structure, enclosures, open place or locality shall be sub-market yard (Fruit-Vegetable) in market area of market yard Patthalgaon Mandi as declared vide notification No./3285/F-04/01/2010/14-2, Raipur, Dated 16th July 2012 of this department, namely :-

PLACE

An area of about 4.046 Hectares of Khasara No. 500/600/1 Ka/1/1 Rakba situated at village Madanpur Injako Tehsil Patthalgaon and District Jashpur Nagar surrounded by :-

1.	North side	-	Govt. Land
2.	South side	-	Govt. Land
3.	East side	-	Govt. Land
4.	West side	-	(1) Private land of Vidhursai
			(2) Private land of Reena W/o Vinod
			(3) Private land of Reena W/o Deepak Agrawal

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.